

22-04-19

वकील पत्रकारान हाचि। वधस सुनी शची।
पत्रावली का आवलोकन क्रिया। प्राथमिक फ
के संलग्न प्र. पत्र ले 56/17 नि.क्रि. 19.08।
अनवानी पूर्ण सिंह अनाम सुरजीत सिंह आदि
में पारित निर्णय में कार्यवाही विधिवत रूज
से की गई थी। प्रार्थी को स्वयं स्थापत्य
में अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त क
चाहिए था। इस स्तर पर कोई कार्यवाही
आज की जानी उचित नहीं होती
है। अतः प्रकरण में स्वयं आदेश ~~अ~~ निर्णय
11-04-19 खारिज किया जाता है। एवं मूल
प्र. पत्र 09 R7-13 व 15/CPD खारिज
जाता है। पत्रावली फौजदारी में शुभम दीव
हासिल फलतः हा

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर